

कार्यालय नगर परिषद, गिरिडीह।

जे०पी०चौक, गिरिडीह।

Email-(giridihmunicipalcorporation@gmail.com)

1105

शुद्धि पत्र

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक - 612 दि०- 18.09.97 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए प्रवेश शुल्क टॉल टैक्स बन्दोबस्ती हेतु प्रस्तावित सुरक्षित राशि (विगत तीन में बन्दोबस्ती की अधिकतम राशि + अधिकतम राशि का 15 प्रतिशत) रू० 2,05,80,000.00 + रू० 30,87,000.00 अर्थात् रू० 2,36,67,000.00 निर्धारित की गयी है। इसी अनुपातिक दर पर वाहनों से ली जाने वाली टॉल टैक्स की राशि निर्धारित की जाती है। तदनुसार शर्त की कड़िका 08 को संशोधित समझा जाय।

क्र०	वाहन का प्रकार	वाहनों से ली जाने वाली टॉल टैक्स की राशि
1	407/छ: चक्का वाले भारी वाहन	रू० 50.00 + रू. 7.50 = रू० 57.50 (राउण्ड फिगर में रू० 60.00)
2	छ: चक्का से अधिक चक्का वाले भारी वाहन	रू० 100.00 + रू. 15.00 = रू० 115.00

अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

ज्ञापांक 363 / गिरिडीह, दिनांक 08/13 / 2018

अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह
-सह-
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, गिरिडीह।

प्रतिलिपि - विज्ञापन प्रबंधक, देशप्राण, गिरिडीह / प्रभात खबर, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं प्रथम पृष्ठ छोड़कर अन्य पृष्ठ पर सरकारी दर पर न्यूनतम साईज (पठनीय) में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक 363 / गिरिडीह, दिनांक 08/13 / 2018

अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह
-सह-
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, गिरिडीह।

प्रतिलिपि - उपायुक्त, गिरिडीह / अपर समाहर्ता, गिरिडीह / अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ज्ञापांक 363 / गिरिडीह, दिनांक 08/13 / 2018

अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह
-सह-
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, गिरिडीह।

प्रतिलिपि - सरकार के उप सचिव, नगर विकास विभाग, झारखंड, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ज्ञापांक 363 / गिरिडीह, दिनांक 08/13 / 2018

अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह
-सह-
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, गिरिडीह।

प्रतिलिपि - अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, न०प०, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह
-सह-
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, गिरिडीह।